

पत्रावली नं० 22 का भाग 17
 16 के कार्र्मु को रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रा
 वास्ते संशोधित टाइटल एवं तल्वी दि: 04.05.17 को
 पेश हो।

04.05.17

**वादी व उनके वकील उपस्थित। विपक्षी
 उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक
 अदालत में रैफर करने के लिए
 है। अतः प्रकरण को लोक अदालत में
 रैफर किया जाता है। कारण
 दिनांक 23.05.17 को
 के समक्ष उपस्थित**

23.05.17

पत्रा आज लोक अदालत केम्प पावरा में पेश
 हुई। वादी-रण ने उपस्थित होकर प्रश्न पत्र एवं
 राजीनामा पेश किया है वे तहसीलदारजी को
 विभाजन करवा लेगे इसलिए दावा खिड़ा करना
 चाहते हैं यदि किसी कारणवश विभाजन नहीं होता
 है तो नया दावा पेश करने की अनुमति दी जावे।
 दावा वादी जरिये, राजीनामा खारिज किया जाता
 है। फर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर 24 कम हो
 एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेख बनाने हो।

(Signature)
 सदस्य
 लोक अदालत
 वजीरपुर

(Signature)
 सदस्य
 लोक अदालत
 वजीरपुर

(Signature)
 अध्यक्ष
 लोक अदालत
 वजीरपुर
 सहायक कलेक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 गंगापुर सिटी

मुकदमा
 नही, क
 अधिकारी
 दी जाती
 वजीरपुर
 अनुमति
 राजीनाम

- 1 वादपत्र
- 2 शक्ति पत्र
- 3 प्रदर्शों के
- 4
- 5 साक्षियों
- 6 कमिश्नर
- 7 आदेशिका